संख्या-373/2020/539/22-2-2020-17(225)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुन्दर पुत्र श्री पूरन कुमार, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुन्दर पुत्र श्री पूरन कुमार, कस्बा व थाना टप्पल, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 28.10.1978 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर 01 व्यक्ति को घायल कर दिया तथा डन्डे से मारकर 01 महिला को चोटें पहुँचा कर अपराध कारित किया तथा नकदी व जेवरात लूटकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-517/1980 में भा0द0वि0 की धारा-395/397 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 15.05.1981 द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.11.2014 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2020 तक 05 वर्ष 03 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 09 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुन्दर (बन्दी संख्या-85/2015) पुत्र श्री पूरन कुमार, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-373/2020/539(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in